न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
31/2023	08/05/2023	28/07/2023

उनवान

कमला बाई पत्नी श्री अर्जुनलाल, जाति–मीना, निवासी–भवानीपुरा, तह0–पीपल्दा, जिला–कोटा राज0 (वादी)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा– 88,89 आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांक–28/07/2023

वादी द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि–यह कि ग्राम–देवपुरा, पटवार हलका करवाड तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2057–2066 खाता संख्या–75 पर ख0न0 68 रकबा 0.73 है0 भूमि स्थित है जो कि तात्कालीन खातेदार कट्टा पुत्र भागला के खाते दर्ज है कि ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2061–2064 खाता संख्या–86 पर ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि दर्ज है जिस पर नामा0 न0 129 से कस्तूरी बेवा कट्टा के खाते दर्ज करने तथा नामान्तरकरण न0 3 शुद्विपत्र दिनांक–25/06/2008 से ख0न0 68/1 रकबा के स्थान पर ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 दर्ज करने का नोट दर्ज है। कि खातेदारी सनद दिनांक–26/06/2008 से खातेदार कस्तूरी पत्नी कट्टा के पक्ष खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिस पर मुताबिक जमाबन्दी संवत–2065–2068 पर नामा0 स0 180 से ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का अंकन है। उपरोक्त वर्णित आराजी को वाद पत्र की आगे की मदो में विवादित आराजी कहा गया है। यह है कि विवादित भूमि ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 को वादी द्वारा खातेदार से दिनांक–23/10/2008 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया जिसका नामान्तरकरण न0 219 दर्ज किया गया। यह है कि वादी द्वारा ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को क्रय किया गया था किन्तु त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण न0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

219 से विवादित भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 के स्थान पर ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया तथा विवादित भूमि को नक्शा मौका के विपरीत तरमीम किया गया। यह है कि वादी द्वारा क्रय की हुई भूमि ख0न0 68/369 रकबा–0.73 है0 भूमि मुताबिक गत राजस्व रिकार्ड ख0न0 67 की मेड पर स्थित थी ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को क्रय किया गया था किन्तु त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण न0 219 से विवादित भूमि ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया। यह है कि बाद सेग्रीगेशन व नक्शा कम्प्यूटरीकरण विवादित आराजी ख0न0 68/369 का नक्शा रकबा 0.73 है0 के स्थान पर रकबा 0.43 है0 तरमीम किया गया है। इस प्रकार ख0न0 68/369 हाल रकबा 0.47 है0 तथा ख0न0 68 व 68/1 में से 0.26 हे दक्षिण दिशा भूमि वादी के खाते की आराजी का ही हिस्सा है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह है कि प्रतिवादी के द्वारा किये गये सेग्रीगेशन कार्य के बाद नयी तरमीमें व नक्शा कम्प्यूटरीकरण किया गया किन्तु प्रतिवादी के द्वारा की गयी त्रुटि के कारण वादी की भूमि की तरमीम त्रुटिपूर्ण हो गयी हैं। प्रतिवादी को वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड त्रुटिपूर्ण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते में की गयी त्रुटि को दुरूस्त करवाये इस कारण वादी अपने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। यह है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त पूर्वानुसार ही चला आ रहा है किन्तु विवादित आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिये जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन करने पर भी विवादित आराजी पर की गयी त्रुटि को दुरूस्त नहीं कर रहा है तथा इसकी आड़ में की शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में बाधाए डाल रहे हैं इस कारण माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। कि प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद लाने हेतु 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है। यह है कि वाद कारण विवादित आराजी पर वादी के द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने के उपरान्त भी प्रतिवादी वादी का रकबा दुरूस्त नहीं करने पर दिनांक–10/03/2023 को उत्पन्न हुआ। यह है कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह है कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि –*(अ.)* यह है कि विवादित आराजी ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि में प्रतिवादी द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया

उपखण्ड कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम कर अमल दरामद किया जावे। (ब.) यह है कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें। उपरोक्त आशय के साथ वादी ने वाद प्रस्तुत किया ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि निवेदन है कि ग्राम देवपुरा मे जवाब सरकार पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर जांच. रिपोर्ट निम्न प्रकार है–यह कि ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में जमाबन्दी सम्वत 2057–60 में ख. न. 68 रकबा 0.73 है0 भूमि जो कि तत्कालीन खातेदार कट्टा पुत्र भागला जाति भील सा. देह गैर खातेदार दर्ज थी। जमावन्दी सम्वत 2057–60 सलंग्न है। यह कि ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में जमाबन्दी सम्वत 2061–64 मे आराजी ख. न. 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि दर्ज थी जिसमे नामा. संख्या 129 दिनांक 27.12.2004 से कस्तूरी बेवा कट्टा के खाते दर्ज हुई थी उक्त ख. न. का शुद्वि पत्र सं. 03 दिनांक 25.06.2008 से ख.न. 68/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 68/369 दर्ज किया गया था। नामा. सं. 129 शुद्वि पत्र सं. 03 सलंग्न है। यह कि खातेदारी सनद दिनांक 26.06.2008 से नामा. सं. 180 दिनांक 26.09.2008 से खातेदारी में दर्ज हुआ है। खातेदार सनद नामा सं. 180 सलन है। यह है कि विवादित भूमि ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में आराजी ख.न. 68/369 रकबा 0.73 है0 को वादी द्वारा खातेदार से दिनांक 24.10.2008 को जर्ये पंजीकृत विकय पत्र से कय किया गया था जिसका नामा. संख्या 219 पर दर्ज किया गया है। विकय पत्र नामा. सं. 219 सलग्न है। कि वादी द्वारा ग्राम देवपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. ख.न. 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को कय किया था। किन्तु त्रुटि पूर्ण नामान्तरकरण 219 से ख.न. 68/369 रकबा 0.73 है0 के स्थान पर ख.न. 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया एवं भूमि की नक्शा मौका के विपरीत तरमीम की गई। कि वादी द्वारा कय की गई भूमि ख.न. 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि गत राजस्व रेकार्ड अनुसार ख.न. 67 उत्तरी पर स्थित थी। परन्तु ग्राम देवपुरा पटवार हलका करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. ख. न. 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को कय किया गया था किन्तु त्रुटिपूर्ण नामा. सं. 219 से ख. न. 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया है। विकय पत्र व नामा. सलंग्न है। यह है कि बाद सेग्रीगेशन व नक्शा कम्प्यूटरीकरण आराजी ख.न. 68/369 का नक्शा रकबा 0.73 है0 के स्थान पर रकबा ख.न. 68/1 रकबा 0.43 है0 व ख.न. 68 रकबा 0.47 है0 व ख.न. 68/369 रकबा 0.26 है0 दक्षिण दिशा वादी की खाते की आराजी का हिस्सा है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है नक्शा सलंग्न है। वर्तमान मे 68/1 को वादी के दर्ज कर दिया है व ख.न. 68/369 को वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया है। यह है कि प्रतिवादी के द्वारा की गई त्रुटि के कारण वादी की भूमि का राजस्व रेकार्ड त्रुटि पूर्ण करने का कोई अधिकार नहीं था इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते में की गई त्रुटि को दूरूस्त करवाए इस कारण वादी अपने राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त पूर्वानुसार ही चला आ रहा है किन्तु विवादित आराजी को प्रतिवादी द्वारा त्रुटि पूर्ण दर्ज कर दिये जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस कारण माननीय न्यायालय मे

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त जांच रिपोर्ट श्रीमान को सादर पेश है। प्रतिवादी के जवाब मौका रिपोर्ट में वादी का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। वादी का वाद प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य किसी विधि व किसी तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी सूरत में वाद में कोई विवाद्यक नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर निर्णित किया जाने योग्य है इस हेतु वास्ते निर्णय बहस वकील वादी सुनी गयी।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। बहस अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जमाबन्दी संवत 2057–2066 ख0न0 68 रकबा 0.73 है0 भूमि जो कि तात्कालीन खातेदार कट्टा पुत्र भागला के खाते दर्ज थी जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2061–2064 खाता संख्या–86 पर ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि दर्ज है जिस पर नामा0 न0 129 से कस्तूरी बेवा कट्टा के खाते दर्ज करने तथा नामान्तरकरण न0 3 शुद्धिपत्र दिनांक–25/06/2008 से ख0न0 68/1 रकबा के स्थान पर ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 दर्ज करने का नोट अंकित जिस पर दिनांक–26/06/2008 से खातेदार कस्तूरी पत्नी कट्टा के पक्ष खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिस पर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2065–2068 पर नामा0 स0 180 से ग्राम–देवपुरा, पटवार हलका करवाड तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का अंकन है। विवादित भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 को वादी द्वारा खातेदार से दिनांक 23/10/2008 को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया है जिसका नामान्तरकरण न0 219 दर्ज किया गया। वादी द्वारा ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को क्रय किया गया था किन्तु त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण न0 219 से विवादित भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 के स्थान पर ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया है तथा विवादित भूमि को नक्शा मौका के विपरीत तरमीम किया गया। कि वादी द्वारा क्रय की हुई भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि मुताबिक गत राजस्व रिकार्ड ख0न0 67 की मेड पर स्थित थी वादी द्वारा ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि को क्रय किया गया था जो कि नामान्तरकरण न0 219 से ख0न0 68/1 रकबा 0.73 है0 भूमि को वादी के खाते दर्ज किया गया है। गत नक्शा व हाल नक्शा के अवलोकन से प्रकट होता है कि सेग्रीगेशन व नक्शा कम्प्यूटरीकरण के बाद ख0न0 68/369 का नक्शा रकबा 0.73 है0 के स्थान पर रकबा 0.43 है0 तरमीम किया गया है। ख0न0 68/369 हाल रकबा 0.47 है0 तथा ख0न0 68 व 68/1 में से 0.26 है दक्षिण दिशा भूमि वादी के खाते की आराजी का ही हिस्सा होना प्रकट होता है तथा त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 219 वाके ग्राम देवपुरा निरस्त होने योग्य है तथा वादी के खाते में प्रतिवादी के द्वारा की गयी त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी आपने राजस्व रिकार्ड में किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन व तरमीमों को दुरूस्त करवाने का अधिकार रखता है इस प्रकार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः ऐसी स्थिती में वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

"5"

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 219 वाके ग्राम ...पुरा पटवार हलका करवाड निरस्त कर खारिज किया जाता है तथा वादी को ...ादित आराजी ग्राम देवपुरा, पटवार हलका करवाड तहसील पीपल्दा, जिला ...ा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित ...ा जाता है तथा विवादित भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 में प्रतिवादी ... की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया जावे तथा नक्शे लटठे में पूर्व नक्शा ...ानुसार ख0न0 68/369 का रकबा 0.73 है0 दर्ज किया जावे, उसका राजस्व ...ार्ड में नक्शा तरमीम कर पूर्वानुसार नक्शा दुरूस्त किया जाकर तदनुसार ...स्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक–28/07/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

"1"

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज0

कमला बाई पत्नी श्री अर्जुनलाल, जाति मीना, निवासी भवानीपुरा, तह0 पीपल्दा, जिला कोटा राज0 वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज. प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा– 88,89 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि– वाद वादी स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 219 वाके ग्राम देवपुरा पटवार हलका करवाड तह0 पीपल्दा को निरस्त कर खारिज किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी ग्राम–देवपुरा, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा विवादित भूमि ख0न0 68/369 रकबा 0.73 है0 में प्रतिवादी द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया जावे तथा नक्शे लटठे में पूर्व नक्शा मौकानुसार ख0न0 68/369 का रकबा 0.73 है0 दर्ज किया जावे, उसका राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम कर पूर्वानुसार नक्शा दुरूस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। । तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज **28.07.2023** को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
इटावा